इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2011—कार्तिक 27, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2011

क्र. ई. 5-843-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री नीरज दुबे, कलेक्टर, जिला शहडोल को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2011 तक, कुल पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 17, 18 दिसम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश की अवधि में श्री अमरपाल सिंह, राप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शहडोल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4)श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमरपाल सिंह, कलेक्टर, जिला शहडोल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

क्र. ई. 5-607-आयएएस-लीव-1-5.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2011 तक, कुल छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री प्रवीण गर्ग, आयएएस, आयुक्त गृह निर्माण मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रवीण गर्ग, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्र. ई. 5-841-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2011 तक, नार्वे में आयोजित अध्ययन कार्यक्रम अवधि के अनुक्रम दिनांक 29 अक्टूबर से दिनांक 1 नवम्बर 2011 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई. 5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम को दिनांक 5 नवम्बर 2011 से दिनांक 18 नवम्बर 2011 तक चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2011

फा. क्र. 1(सी)-22-11-21-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा डॉ. साकेत व्यास, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उज्जैन को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन इन्दौर संभाग इन्दौर के लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2011

फा. क्र. 3(ए)4-2011-21-ब(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से म. प्र. शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी) जिनकी वर्तमान पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शित है, को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथा संशोधित नियम-5(1)(ए) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करता है :—

1. श्री आशीष दीक्षित, चतुर्थ ए. डी. जे., पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महू, जिला इंदौर.
2. श्री वाचस्पति मिश्र, चतुर्थ ए. डी. जे. पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीधी.
3. श्री रामप्रताप सिंह, अष्टम ए. डी. जे. पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रीवा.
4. श्री देवनारायण (शुक्ला), षष्ठम् ए. डी. जे. पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मंदसौर.
5. श्री लखन लाल गर्ग, तृतीय ए. डी. जे. पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, डबरा, जिला ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश नायक, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 1(ए) 53-2003-ब-2-दो.—श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु., भोपाल को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2011 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 8, 9, 15 एवं 16 अक्टूबर 2011 के विज्ञस अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. शिवहरे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 107-2008-ब-2-दो.—श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे, तत्का. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो), भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2010 से 27 जनवरी 2011 तक कुल इकतीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एस. कुशवाह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 154-90-ब-2-दो.—श्री एस. के. झा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु. मु. भोपाल को नियंत्रणकर्ता अधिकारी के आदेश क्र. 129-2011, दि. 18 अक्टूबर 2011 द्वारा स्वीकृत दि. 24, 25, 28 एवं 29 अक्टूबर 2011 तक कुल चार दिवस के आकस्मिक अवकाश, दिनांक 27 अक्टूबर 2011 के स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 23, 26 अक्टूबर 2011 के विज्ञस अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 में भारत भ्रमण की पात्रता के अन्तर्गत "मुम्बई गोवा" जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :—

1. श्री एस. के. झा — स्वयं
2. श्रीमती डॉ. मातंगी झा — पत्नी
3. कु. सौम्या झा — पुत्री
4. मास्टर शिवांश झा — पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एस. के. झा, भापुसे को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

क्र. एफ. 1(ए) 257-88-ब-2-दो.—डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. भोपाल को बैंकॉक, थाईलैण्ड में ताईक्वाण्डो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2011 तक आयोजित एशियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेन्ट में भाग लेने के साथ दिनांक 5 से 18 नवम्बर 2011 तक कुल चौदह दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India) स्वयं के व्यय पर सिंगापुर एवं हांगकांग प्रवास हेतु निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक/संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 272-86-ब-2-दो.—श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक(अजाक), पु. मु. भोपाल को Phase-v Mid Career Training Programme (MCTP) में दिनांक 14 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2011 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में एवं दिनांक 5 से 10 दिसम्बर 2011 तक, यू. के. लंदन में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 दिसम्बर 2011 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex-India) निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है :—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे, राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक), पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ. 1(ए) 280-76-ब-2-दो.—श्री एच. के. सरीन, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक कुल तेरह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं दिनांक 1 जनवरी 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. सरीन, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एच. के. सरीन, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एच. के. सरीन, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 19-17-09-12-1.—यतः इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 1964 द्वारा नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित, सतना जिले के नागौद एवं रघुराजनगर तहसीलों के ग्रामों के चूनापत्थर धारित क्षेत्रों को सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा दोहन के लिये सुरक्षित किया गया था. अब राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि उन इच्छुक व्यक्तियों, जो सीमेंट संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं, को खनि रियायत प्रदान करने में प्राथमिकता दिए जाने हेतु खनि रियायत नियम 1960 के नियम 59 के उप नियम (1) के अधीन नीचे दी गई सारणी में दिए गए निम्नलिखित क्षेत्रों को असुरक्षित किया जाए.

असुरक्षित किए जा रहे क्षेत्र के लिए खनि रियायत प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय, जिला सतना में, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन के पश्चात् आगामी 30 दिवस तक लिए जाएंगे.

सारणी

अनुक्रमांक	तहसील	दिनांक 4-9-64 की अधिसूचना में सुरक्षित किए गए ग्रामों का अनुक्रमांक	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नागौद	39	नौबस्ता
		36	कोलार
		40	बसुधा
		42	बड़रिया खुर्द
		48	डाम्हा
		58	पटना
2.	रघुराजनगर	58	पी. ओ. उमरी
		71	कोल्हाई
		81	तरहटा
		83	मोहना
		85	सकरिया
		91	खम्हरिया पेसियान
		97	भाग फुटौधी
		107	लोहरा
		66	नीवी
		72	मटेहना
		78	हिनौती
		82	जमोड़ी
		95	उषरहा रामस्थान
		84	बड़ेरा
		86	चकमुरार
		92	खम्हरिया तिवरियान
		94	भाग घुघचिहाई
		98	फुटैंधा
		100	पी. ओ. बारीखुर्द
		110	पोइधा

2. खसरा पांचशाला, नक्शा तथा क्षेत्र की भूमि के ब्यौरे जो असुरक्षित किए जा रहे हैं, कलेक्टर, सतना से प्राप्त किए जा सकेंगे.

3. खनि रियायत प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का निराकरण, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनि रियायत नियम, 1960 तथा मध्यप्रदेश राज्य की खनिज नीति, 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

No. F 19-17-2009-12-1.—Whereas the limestone areas of villages of Tehsil Nagod and Raghurajnagar of Satna district mentioned in table below was reserved for exploitation by public sector vide this department notification dated 4th September 1964. Now, the State Government has decided that the following areas given in the below are being dereserved under sub-rule (1) of rule 59 of the Mineral Concession Rule, 1960 for giving priority in grant of mineral concession to the desires person who wish to establish cement plant.

Application for grant of mineral concession for the area being dereserved shall be accepted, in the office of the Collector, district Satna after 30 days from the date of publication of this notification, up to ensuing 30 days.

Table

S. No.	Tehsil	S. NO. of the reserved villages in the notification dated 4-9-1964	Name of the Village
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nagod	39	Noubasta
		36	Kolar
		40	Basuda
		42	Baderia Khurd
		48	Damha
		58	Patna
2	Raghurajnagar	58	P. O. Umari
		71	Kolhai
		81	Tarhata
		83	Mohana
		85	Sakariya
		91	Khamhariya Pesiyan
		97	Bhag Phutoindhi
		107	Lohara
		66	Neevee
		72	Matehana
		78	Hinauti
		82	Jamodi
		95	Ushraha Ramsthan
		84	Badera
		86	Chakmurar
		92	Khamhaariya Tiwariyan
		94	Bhag Ghughachihai
		98	Phutaindha
		100	P. O. Bareekhurd
		110	Poidha

(2) The Khasra Panchsala, Map and details of the land of the area which are being dereserved may be obtained from the Office of the Collector Satna.

3. The application received for the grant of mineral concession, shall be disposed as per the provisions of Mines and Minerals (Regulation and development) Act, 1957, Mineral Concession Rule, 1960 and Mineral Policy, 2010 of State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 22-30-2011-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अनुसूची में, मालयान से संबंधित मद पांच में, उपमद-ख का लोप किया जाए.

No. F-22-30-2011-viii.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991). the State Government, hereby, makes the following amendment in the First Schedule to the said Act, namely:—

Amendment

In the said Schedule, in item V relating to Goods Carriage, sub-item (b) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 46-2-2008-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम, 3 के उपनियम (1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार पाठ्यपुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे :—

स.क्र. (1)	नाम व पता (2)	पद (3)
1.	डॉ. गोविन्द शर्मा, पूर्व अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म. प्र. शासन 81, हैलीपेड कालोनी, जयविलास परिसर, ग्वालियर, म. प्र. दूरभाष 0751-2423229.	अध्यक्ष
2.	डॉ. सुभाष गुप्ता, निदेशक, गुजराती प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, इंदौर म. प्र., मो.-09826042102.	सदस्य
3.	श्री भागीरथ कुमरावत, शिक्षावद्, ई-100/45, शिवाजी नगर, भोपाल म. प्र., मो.-09407278525.	सदस्य
4.	डॉ. नाथूराम राठोड, सेवानिवृत्त प्राचार्य, एम. आई. जी. 383, विवेकानंद नगर, दमोह, म. प्र. दूरभाष : 07812-221824, मो.-09425151998.	सदस्य
5.	डॉ. रवीन्द्र कान्हेरे प्रोफेसर, शासकीय महाविद्यालय, बड़वानी, म. प्र., मो.-09406632151.	सदस्य
6.	श्री अनिल चतुर्वेदी, सहायक संचालक, लोक शिक्षण, विधि प्रकोष्ठ इन्दौर, म. प्र. मो.-09425346558.	सदस्य
7.	डॉ. मुकेश तिवारी, प्रभारी प्राचार्य, शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय, शहडोल, म. प्र., मो.-09424378177.	सदस्य
8.	डॉ. गिरीश अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त प्राचार्य, 100/13, नर्मदा नगर, सुखसागर विला के सामने, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, म. प्र.	सदस्य
9.	डॉ. रघुवीर गोस्वामी, रामानन्द संस्कृत महाविद्यालय, लालघाटी, भोपाल म. प्र. मो.-.....	सदस्य
10.	डॉ. चिंतामणी मालवीय, विभागाध्यक्ष, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र., मो.—9425091553.	सदस्य
11.	सुश्री कृष्णा परते, प्राचार्य, कन्या उ.मा.वि. गोविन्दपुरा, भोपाल.	सदस्य

निम्नलिखित शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम:—

12.	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, म. प्र.	—	सदस्य सचिव
13.	आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म. प्र.	—	सदस्य
14.	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल, म.प्र.	—	सदस्य
15.	प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल, म.प्र.	—	सदस्य
16.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्-एक प्रतिनिधि	—	सदस्य
17.	नवोदय विद्यालय-एक प्रतिनिधि	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गीता मिश्रा, अपर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. एफ. 2-01-2009-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 7(1)/ 7(5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर को निम्नलिखित ऋणपत्रों/ऋण पर प्रत्याभूति दी गई थी. मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा उक्त ऋणपत्रों/ऋण की राशि मय ब्याज सहित कुल राशि रुपये 6,60,00,000 (रुपये छः करोड़ साठ लाख) अदा करने के फलस्वरूप राज्य शासन उक्त ऋणपत्रों/ऋण के लिये प्रदत्त प्रत्याभूति को निरस्त करता है:—

(रुपये लाख में)

क्र.	आदेश क्र. व दिनांक	निहित दर	प्रत्याभूति दी गई	प्रत्याभूति समाप्ति की अवधि	प्रत्याभूति राशि	10% राशि की अतिरिक्त प्रत्याभूति	कुल प्रत्याभूति राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	क्र. 10573/4421/चार/ 91/नि-3, दिनांक 30-8-1991.	11.5%	ऋण-पत्र	5-9-2011	600	60	660

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय चौबे, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य अभियंता (विद्युत् सुरक्षा) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक, मध्यप्रदेश शासन
क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2011

क्र. अ.मं.-6861-विठे-निरस्ती-2011-12-1700-मु.अ.—मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत्) विनियम, 1960 के विनियम, 29 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारों द्वारा दिनांक 30 जून 2011 तक आगामी वर्ष 2011-2013 तक के लिए विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं कराये जाने के फलस्वरूप उनकी विद्युत् ठेकेदारी अनुज्ञप्ति रद्द हो गयी है. अत: निम्नलिखित विद्युत् ठेकेदारों के द्वारा दिये गये विद्युत् अधिष्ठानों संबंधी सभी कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 1 जनवरी 2011 से अमान्य होगी:—

क्रमांक (1)	विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता (2)	अनुज्ञप्ति क्रमांक (3)
1.	श्री वल्लभ गुप्ता, 109-डी, स्कीम नं. 51, संगम नगर, किला मैदान, नव चेतना स्कूल के पास, इन्दौर (म. प्र.).	973-ए
2.	श्री ईश्वरीप्रसाद तिवारी, राधा निवास, करौंदा के सामने, छतरपुर (म.प्र.).	975-ए
3.	श्री हरदीपसिंह, प्रो. स्टेपअप कंस्ट्रक्शन, 115ए-पी. आर. कंटगा, जबलपुर (म.प्र.).	1017-ए
4.	श्री सचिन अग्रवाल, मे. एस. के. इलेक्ट्रीक कम्पनी, 118, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर (म.प्र.).	23/1198-ए
5.	श्री कमलजीत सिंह भल्ला, प्रो. मे. इलेक्ट्रिक सेन्टर, गुरूद्वारा कॉम्पलेक्स, जयंत, सीधी (म.प्र.).	15/1446-ए
6.	श्री रेहान अलवी, प्रो. पावर ब्लूमर, 54, ऐशबाग स्टेडियम, बरखेड़ी, भोपाल (म.प्र.).	28/1452-ए
7.	श्री रमाशंकर शर्मा, मकान नम्बर 3330, पूर्वी घमापुर, जबलपुर (म.प्र.).	33/1467-ए
8.	श्री कन्हैयालाल महाजन, द्वारा डॉ. नवनीत महाजन, तलाई मार्ग, खरगौन पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)	24/1680-ए
9.	श्री इकबाल अहमद खान, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, संकट मोचन की पहाड़ियां, छतरपुर (म.प्र.).	8/2073-ए
10.	श्री सैय्यद इकबाल हुसैन, द्वारा—भाई इलेक्ट्रीकल्स, जमा मस्जिद, नई सड़क, गुना (म.प्र.).	6/2087-ए
11.	श्री मदनमोहन अग्रवाल, द्वारा एम. एस. ट्रेडर्स एफ. बी. 2/2, शिल्पी प्लाजा कोठी रोड, रीवा (म.प्र.).	13/2105-ए

(1)	(2)	(3)
12.	श्री अरविन्दसिंह सिकरवार, आ. श्री उदयसिंह सिकरवार, इमली चौक, पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.).	1/2106-ए
13.	श्री सुनील कुमार माहेश्वरी, आ. श्री मदनलाल माहेश्वरी, 132, द्रविड नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/2112-ए
14.	श्री आनन्द वरिष्ठ, 230, सुन्दर नगर (एक्सट्रेक्शन) सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).	23/2123-ए
15.	श्री अजय प्रकाश गुप्ता, सी-12, बिरला ग्राम नागदा, उज्जैन (म.प्र.).	18/2127-ए
16.	श्री नवीन रिछारिया, 6, शीतलपुरी कालोनी, बलदेव बाग, उखरी रोड, जबलपुर (म.प्र.)	33/2143-ए
17.	श्री मार्टिन वाल्टर, आ. स्व. श्री सनी वाल्टर, वार्ड नं. 8, पीपल मोहल्ला, इटारसी (म.प्र.).	32/2151-ए
18.	श्री पवन कुमार निगोती, पवन इलेक्ट्रिकल्स, बीज भण्डार रोड, करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	5/2169-ए
19.	श्री के. पी. मिश्रा, म. नं. 823/92-बी, शारदा कालोनी, (पवन भूमि) शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.)	33/1479-ए
20.	इंजी. इन्द्रमल जैन, आ. श्री मोतीलाल जैन, 25, बक्षी कालोनी, एक्स बाफना कोठी के पीछे, सदर बाजार, इन्दौर (म.प्र.).	23/1502-ए
21.	श्री जाहिद खान, मे. शर्मा इन्टरप्राइजेस, 30 नगर निगम कालोनी, शाहजहांनाबाद, भोपाल (म.प्र.).	28/1541-ए
22.	श्री ईश्वर लाल ठाकुर, बी-135, सेक्टर-बी, सोनागिरि, भोपाल (म.प्र.).	28/1544-ए
23.	श्री कुशल गुप्ता आ. श्री एस. एस. गुप्ता, एम.एल.ए. रोड, गंगापुरा-डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).	3/1971-ए
24.	श्री बृजकिशोर मिश्रा, ब्रज विला, चटर्जी मार्ग, पन्ना (म.प्र.).	12/2014-ए
25.	श्री राकेश देवफरिया, ग्राम-पोस्ट नांदनेर, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)	35/2041-ए
26.	श्री जिनेन्द्र कुमार सेठी, सेठी इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स अलायन्स, 23, पोरसी मोहाबा छावनी, मेन रो, इन्दौर (म.प्र.).	23/2052-ए
27.	श्री विनोद चौहान, परासिया रोड, पूजा लॉज के पास, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/2696-ए

(1)	(2)	(3)
28.	श्री इकबाल खान, अथाई मोहल्ला, वार्ड नं. 10, मूंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.).	19/2706-ए
29.	मेसर्स कृष्णा कंसट्रक्शन, प्रो. केशवसिंह परिहार, शैल विहार, छापर रामपुर, जबलपुर (म.प्र.).	33/2735-ए
30.	श्री विनीता ओरा आ. श्री रमणीक लाल ओरा, ममता ट्रांसफार्मर, सी एच-11, सुखलिया-इन्दौर (म.प्र.).	23/2743-ए
31.	श्री रमणीकलाल ओरा आ. श्री वरदीचन्द ओरा, सी एच-11, सुखलिया-इन्दौर (म.प्र.).	23/2744-ए
32.	श्री विजय सक्सेना, 202, वरुण अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस, भोपाल (म.प्र.).	28/2745-ए
33.	श्री रवि कुमार ठुकराल, चरखा लाईन, जैन मंदिर के सामने, सीहोर (म.प्र.).	29/2749-ए
34.	श्री मनोज कुमार जैन, बस स्टेण्ड रोड, खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	5/2753-ए
35.	श्री सुन्दरपाल सिंह दुग्गल, प्रो. सोना मशीनरी गोल पार्क, बस स्टेण्ड, रीवा (म.प्र.).	13/2756-ए
36.	श्री अभिषेक जैन आ. श्री आर. के. जैन, शक्ति नगर, साउथ सिविल लाईन, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/2786-ए
37.	श्री सुनील कुमार गोठी, प्रो. सनट्रान सिस्टम्स, म. नं. ए-83, शाहपुरा-भोपाल (म.प्र).	28/2794-ए
38.	श्री चेतराम नरवरे, सेवानिवृत्त इलेक्ट्रीकल इंजीनियर, डब्ल्यूसीएल पाथाखेड़ा, जिला बैतूल (म.प्र.).	34/2807-ए
39.	श्री राहुल साघ आ. श्री एम. एल. साघ, गॉधी चौक, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31/2818-ए
40.	श्री धमेन्द्र कुमार जैन, प्रो. मे. आदिनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, ए-47, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.).	28/2840-ए
41.	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, राधा कालोनी, हेल्थ क्लब के पास, गुना (म.प्र.).	6/2845-ए
42.	श्री आनन्द कुमार सोनी, 59, विवेकानंद नगर, यादव कालोनी, जबलपुर (म.प्र.).	33/2849-ए
43.	श्री सुरेन्द्र खण्डेलवाल आ. श्री मोतीलाल, 28/3, विश्वविद्यालय मार्ग (झालानी निवास), फ्रीगंज-उज्जैन (म.प्र.).	18/2868-ए
44.	श्री अरविन्द कुमार आ. श्री गोविन्द रामनोदी, मता सती एनर्जी सेवर्स, 2/1, पारसी मोहल्ला, (जी.पी.ओ.) इन्दौर (म.प्र.).	23/2876-ए

(1)	(2)	(3)
45.	श्री धनंजय सिंह परिहार आ. स्व. श्री लेखराम सिंह, डॉ. झा नर्सिंग होम के पीछे, भरहुत नगर, सतना (म.प्र.).	12/2887-ए
46.	श्री जी वर्गीस जी, प्रो. भारतीय इलेक्ट्रिकल्स, बीएम-177, एम.जी. हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.).	22/2889-ए
47.	श्री राजेश कुमार पटेल, एम.आई.जी.-सी/100 धनवन्तरी नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/2892-ए
48.	मेसर्स आर. एच. इंजीनियर्स, प्रो. के. के. शर्मा, एच./7, एस/3, एसआरएच कम्पाउण्ड, सोनागिरि, ए-सेक्टर, भोपाल (म.प्र.).	28/2897-ए
49.	श्री संजय कुमार चतुर्वेदी आ. श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी, साकेत नगर, ओरछा रोड, पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).	10/2900-ए
50.	श्री करीमुद्दीन अंसारी, मु. बडकुही (हेक) पो. चांदामेटा, तह. परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/2913-ए
51.	मेसर्स आर. एच. इनहर नेशनल, प्रो. श्री राजवर्धन सिंह, तीसरी मंजिल, प्रिन्स हाउस, दो बत्ती, रतलाम (म.प्र.).	17/2925-ए
52.	मेसर्स एलाईड इंजीनियरिंग सर्विसेज, 5-13, सेक्टर-एफ-औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).	28/2929-ए
53.	मेसर्स एस. के. अग्रवाल, 402/2, प्रेमगंज सीपरी बाजार, झाँसी (उ.प्र.)	यूएस/2935-ए
54.	श्री रूपेश अग्रवाल, द्वारा आर. ए. इंजीनियरिंग सर्विसेज, म. नं. एमआईजी-20, डी-सेक्टर, बायपास रोड, अयोध्या नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/2940-ए
55.	मेसर्स कोनार्क इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, सी-55, गौतम नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).	28/2948-ए
56.	मेसर्स हॉक इंजीनियरिंग एण्ड कम्पनी, 17, गौतम नगर, पी.जी.बी.टी. कॉलेज, भोपाल (म.प्र.).	28/2953-ए
57.	श्री शम्भूदयाल आ. श्री प्रेमनारायण 149/2, मोती बंगली, देवास (म.प्र.).	20/2959-ए
58.	मे. राज इंजीनियर्स वर्क्स, प्लाट नं. 705, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेस-1, चंडीगढ़-160002.	यूएस/2927-ए
59.	श्री मलखान सिंह पटेल, ग्राम टडा, पो. सिंगोली, तह. पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).	32/2964-ए
60.	श्री चौधरी प्रदीप कुमार जैन, बटालियन रोड, विद्यापुरम, सागर (म.प्र.).	9/2977

क्र. अ.मं.-6861-विठे-निरस्त-2010-11-1705-मु.अ.—निम्नलिखित ''अ'' श्रेणी विद्युत् ठेकेदारों के यहां कार्यरत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञप्ति निलंबित हुई. विनियम 26(2) के तहत् पुनः दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं किये जाने तथा लगातार 6 माह तक अनुज्ञप्ति निलम्बित रहने के कारण विनियम 26(2) ग के तहत् अनुज्ञप्ति पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः निम्नांकित विद्युत् ठेकेदारों की कार्यपूर्ति/ परीक्षण रिपोर्ट उनके पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से अमान्य है:—

स. क्र.	विद्युत् ठेकेदार का नाम व पता	अनुज्ञप्ति् क्रमांक	पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विजय कुमार ज्योतिषी, द्वारा-श्रीराम इले. कमला नेहरू नगर, जबलपुर (म.प्र.).	281	30-6-2011
2.	मेसर्स ओटिस इंडिया, 302/2ए, साकेत नगर, यशोदा अपार्टमेंट, भोपाल (म.प्र.).	450	31-3-2010
3.	मेसर्स अग्रवाल एजेन्सी, 2179, राईट टाउन, जबलपुर (म.प्र.).	790	8-2-2011
4.	श्री डी. के. तिवारी, प्रो. डी. के. इन्टरप्राइजेज रतहरा, नियर प्रेट्रोल पम्प, रीवा (म.प्र.).	13/1634	30-4-2010
5.	श्रीमती लीला जादौन, लाईन नं. 2, क्वा. नं. 7, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).	3/1684	31-10-2010
6.	श्री पारस जैन आ. श्री शंकरलाल जैन द्वारा मे. पी.डी.एस. भास्कर लाईन, ज्येन्द्रगंज, ग्वालियर (म.प्र.).	3/1852	18-12-2010
7.	श्री राधेश्याम गुर्जर, घासमण्डी नं. 2, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	3/1931	26-2-2011
8.	श्री संदीप गुप्ता आ. श्री राधेश्याम गुप्ता, जे-450, दर्पण कालोनी, ठाठीपुर, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	3/2222	20-1-2011
9.	श्री आशुतोष चतुर्वेदी, गणेश चौक, वीरपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	4/2270	20-8-2010
10.	श्री महेश गुर्जर आ. श्री भारतसिंह गुर्जर, ग्राम व पोस्ट सुठालिया, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31/2352	12-11-2010
11.	श्री समीर यादव, म.नं. 1/3, नंदिनी नगर, गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.).	26/2487	21-12-2010
12.	श्री परितोष व्ही. अवस्थी, सी-64, पटेल नगर कालोनी, पिपलानी, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2512	25-10-2010
13.	श्री एस. पी. श्रीवास्तव, राधा कालोनी, गुना (म.प्र.)	6/2535	1-4-2010
14.	श्री अजेश्वरसिंह राना, प्रो. मे. अजेश्वरसिंह राना, 1890 प्रेम नगर, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.).	33/2552	1-2-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	श्री रामवरन शर्मा, अग्रवाल कालोनी, भिण्ड (म. प्र.).	02/2555	26-8-2010
16.	श्रीमती सोनी शर्मा, मे. महादेव इले. एण्ड सिविल कंस्ट्रक्शनस, 34, मंदाकिनी महेन्द्रा टाउनशिप, ई-8,-एक्सटेंशन, शाहपुरा-भोपाल (म.प्र.).	28/2586	24-9-2010
17.	मेसर्स अवध ट्रांसफार्मर्स प्राय. लिमि., 3 व 4 तल न्यू जनपथ कॉम्पलेक्स, 9-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.).	यूएस/2595	26-9-2010
18.	मेसर्स कृष्णा इंजी. वर्क्स, NHI-A-157, NTPC-VSTPP, सीधी (म.प्र.).	15/2625	16-8-2010
19.	श्री राजेश परमार आ. श्री लाड़सिंह परमार, ग्राम-हरजिखेड़ा, पोस्ट-रोलाखेड़ी, तह. कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.).	30/2628	31-3-2010
20.	मेसर्स एस्टर टेली सर्विसेज प्राय. लिमि., फ्लेट नं. 307, स्नेहा एम. जी. कालोनी, मौला अली, हैदराबाद 500040.	यूएस/2629	10-2-2011
21.	श्री कमलसिंह आ. श्री गोपालसिंह चौहान, ग्राम-पुर, पोस्ट-पिडौरा, तह. व जिला-भिण्ड (म.प्र.).	02/2637	11-10-2010
22.	श्री लोकेश गुप्ता आ. श्री बालमुकुन्द गुप्ता, 15/100, जवाहर वार्ड, न्यू बस स्टेण्ड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.).	35/2653	28-12-2010
23.	तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था, 38, वेयर हाउस रोड, ओल्ड पावर हाउस कम्पाउण्ड इन्दौर (म.प्र.).	23/2658	10-8-2010
24.	श्री सुशील गोरेचा, 45, राजस्व कालोनी, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.).	18/2775	10-3-2011
25.	मेसर्स अन्जलिक इन्टरनेशनल लिमि., 104-107, हेमकुण्ड टावर, 98 नेहरु प्लेस, न्यू दिल्ली 110019.	यूएस/2934	30-9-2010
26.	श्री दिलीप दण्डोतिया, छत्तर पंचम वार्ड के बगल से महावीरपुरा, मुरैना (म.प्र.).	01/2957	19-6-2010
27.	श्री रामसिया राठौर, लश्कर रोड, चकवाली पुलिया के पास, जैन मंदिर, भिण्ड (म.प्र.).	02/2961	31-3-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
28.	श्री कमलेश शर्मा, ग्राम चौकी, पोस्ट-घरई, तह. व जिला-भिण्ड (म.प्र.).	02/2987	30-11-2010
29.	श्री नरेन्द्र त्रिवेदी, 22/6, सी. टी. ओ. बैरागढ़-भोपाल (म.प्र.)	28/3000	31-12-2010
30.	श्री बृजेन्द्र सिंह कुशवाहा, ग्राम इमलाहा, तह. मिहोना, जिला-भिण्ड (म.प्र.).	02/3007	4-2-2011
31.	श्री कमल मित्तल, मेसर्स मित्तल इले. नियर सुन्दरमल्स धर्मशाला, दौलतगंज, ग्वालियर (म.प्र.).	03/3008	15-11-2010
32.	श्री भानुप्रकाश वाजपेयी, ए. के. इन्टरप्राइजेस, बालाबाई का बाजार, लश्कर-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3009	15-1-2011
33.	श्री विनोद कुमार धाकड़, हलाली कालोनी के पीछे, गली क्रमांक-1, विदिशा (म.प्र.) 464001.	27/3022	15-11-2010
34.	श्री राशिद खान, वनखण्डेश्वर स्कूल के पास, झांसी रोड, डबरा, जिला-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3058	27-12-2010
35.	श्री जयेन्द्रसिंह गुर्जर, कन्या विद्यालय के पीछे, डबरा, जिला-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3060	16-5-2010
36.	मेसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमि., सी. जी. हाउस, छठवां माला, डॉ. एनीविसेन्ट रोड, वरली, मुम्बई.	यूएस/3062	4-5-2010
37.	मेसर्स प्रमोद इलेक्ट्रिकल्स, म. नं. 13, वार्ड 22, नवानगर, पोस्ट-निगाही, जिला सिंगरौली (म.प्र.).	15/3071	11-1-2011
38.	श्री टिक्किमसिंह कुशवाह, 30 प्रगति नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).	28/3074	31-7-2010
39.	मे. प्रेमसन्स पावर इंजीनियर्स, 14 अंजुमन मार्केट, पहली मंजिल, मढ़ाताल, जबलपुर (म.प्र.).	33/3077	31-3-2010
40.	मे. बिहान इन्टरप्राइजेस, एम. 20, निराला नगर, डिपो चौराहा के पास, भदभदा रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/3083	3-5-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
41.	श्री रामेश्वर दयाल विलैया, 8/04, ज्वाला प्रसाद विलैया, 25, आदर्श नगर, शिवपुरी (म.प्र.).	05/3084	15-5-2010
42.	श्री विक्रमसिंह रघुवंशी, शक्ति नगर कालोनी, जे. जे. बरेली, रायसेन (म.प्र.).	26/3097	20-4-2010
43.	श्री गंगाचरण शर्मा, ग्राम चौकी, पो. घरई, जिला भिण्ड (म.प्र.).	02/3103	25-3-2010
44.	श्री अशफाक अली सैय्यद, 34, महा. बख्तार मार्ग, रिंग रोड, सरदारपुर-धार (म.प्र.).	22/3107	3-5-2010
45.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, तालाब रोड, पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.).	01/3109	30-4-2010
46.	श्री राजेन्द्र सिंह, पंसारी मोहल्ला, गया प्रसाद चौरसिया का मकान, गोरखपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.).	33/3116	30-4-2010
47.	श्री विवेक शर्मा, म. नं. डीएच-33, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).	03/3131	23-7-2010
48.	मे. पावर विजन मल्टी इंजीनियरिंग सर्विसेज, द्वारा जी. एन. खताले, 40 राजस्व कालोनी, पोस्ट आफिस के सामने, उज्जैन (म.प्र.).	18/3135	20-10-2010
49.	श्री शरदकान्त ठाकरे, मु. पो. बिसनूर, तहसील-मुलताई, जिला-बैतूल (म.प्र.).	34/3137	01-04-2010
50.	श्री जयप्रकाश राय, द्वारा प्रकाश इले., 103, मंगलम अपार्टमेंट, सांवेर रोड, वैध नगर, उज्जैन (म.प्र.).	18/3139	26-6-2010
51.	श्री धनीरामसिंह धाकड़ फोर्ट न्यु कालोनी, कोटेश्वर रोड, ग्वालियर (म.प्र.).	03/3142	10-6-2010
52.	श्री उमाशंकर शर्मा, गल्ला मंडी, भिण्ड (म.प्र.).	02/3146	25-6-2010
53.	श्री केदार पटेल, ग्राम हरनासा, पोस्ट-रंगवासा, तह. देपालपुर जिला-इन्दौर (म.प्र.).	23/3162	12-7-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
54.	श्री बैजनाथसिंह, द्वारा-बैजनाथ कंस्ट्रक्शन कम्पनी, 60-II, जे.एम.ई. पो. आ. शक्तिनगर, एन.टी.पी.सी., जिला-सोनभद्र (उ.प्र.).	यूएस/3167	12-7-2010
55.	श्री नितिन कुमार जायसवाल, निवासी तीसरी लाईन, वार्ड नं. 32, सुभाषगंज इटारसी-होशंगाबाद (म.प्र.).	32/3168	24-6-2010
56.	मेसर्स आकृति इंटीरियर्स, प्रो. श्री राकेश अवस्थी, एफ-बी-10-11, ए-ब्लॉक, मान सरोवर काम्पलेक्स, हबीबगंज रेल्वे स्टेशन के सामने, भोपाल (म.प्र.).	28/3170	30-09-2010
57.	श्री अमित तिवारी, क्वा. नं. जी-105/17, 5 नम्बर स्टॉप, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/3183	13-9-2010
58.	प्रदीप शर्मा, गल्ला मण्डी, बम्बा का किनारा, भिण्ड (म.प्र.).	02/3188	11-8-2010
59.	श्री राजेन्द्र सिंह पाल, मेजर चिल्ड्रन स्कूल के पास, सिंहपुर रोड, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3191	20-8-2010
60.	मेसर्स एक्स एल पावर, प्रो. श्री अनिल के गुप्ता, 974/5, न्यू शास्त्री नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/3196	25-10-2010
61.	श्री गरिमा इन्टरप्राइजेज, 83/ए, शिवराजपुरी कॉलोनी, इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).	32/3213	30-5-2010
62.	श्री पंकज फूलवानी, दीप इलेक्ट्रीकल एण्ड गिफ्ट हाउस सराफा बाजार, बैरागढ़-भोपाल (म.प्र.).	28/3217	24-2-2011
63.	मेसर्स यू. एस. इन्फ्रा, प्लाट नं. 177, सांई मंदिर के पास, विवेकानंद कालोनी, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	36/3220	31-10-2010
64	श्री अरूण कासलीवाला, 434/10, तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/3225	30-9-2010
65	मेसर्स इण्डो एशियन फ्यूज गियर लिमि. रूम नं. 720, हेमकुण्ड चेम्बर्स, 89 नेहरू प्लेइस, न्यू दिल्ली 110019.	यूएस/3226	27-8-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
66	श्री लोकेश चावरे, जवाहर गंज गंगा गली, खण्डवा (म.प्र.).	25/3236	03-09-2010
67	मेसर्स डायमण्ड कंसट्रक्शन, प्रो. फसीह अहमद मेन रोड, सिंगरौली (म.प्र.).	15/3237	02-09-2010
68	श्री निहालसिंह ग्राम हरनासा, पोस्ट-देपालपुर जिला इन्दौर (म.प्र.).	23/3239	24-9-2010
69.	श्री राजीव गुप्ता, मंगला देवी मंदिर के पीछे, वार्ड नं. 2, लहार, भिण्ड (म.प्र.).	02/3249	22-10-2010
70.	श्री महेश गोयल, 105, बावड़िया मऊ, नर्मदा मंदिर मार्ग, सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)	32/3256	10-10-2010
71.	श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, शिवाजी नगर, भिण्ड (म.प्र.).	02/3257	7-11-2010
72	श्री अरूण कुमार पाण्डेय ग्राम-बांसी, पोस्ट-टीकर, थाना गोविन्दगढ़, तह. हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.).	13/3259	3-12-2010
73	मेसर्स अमर एसोसिएट्स ठाकुर बाबा की कुटिया, नीलबड़ भोपाल (म.प्र.).	28/3264	18-11-2010
74	श्री अशोक कुमार गोरवान, प्रो. मेसर्स गोखरू इंजी. कम्पनी सदर बाजार, भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.).	16/3282	3-1-2011
75	मेसर्स आकार इन्टरप्राइजेज, आनंद भवन, शिवहरे धर्मशाला के सामने, नई सड़क, लश्कर-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3283	12-12-2010
76	श्री नारायण लाल वर्मा, नारायण इले. चाचौड़ा रोड, बीनागंज, जिला गुना (म.प्र.).	06/3291	8-11-2010
77	मेसर्स अरोसा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. जी-18, अंसल क्लासिक टॉवर, जे-ब्लॉक, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27.	यूएस/3292	19-11-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
78	श्री महेश कुमार यादव, मां शारदा काम्पलेक्स, रीवा रोड, सतना (म.प्र.).	12/3300	8-7-2010
79	मेसर्स अमित कंस्ट्रक्शन कम्पनी, प्रो. अमित तिवारी, 22/194, अमहिया, रीवा (म.प्र.).	13/3321	9-1-2011
80	मेसर्स बी. एन. सी. पावर प्रोजेक्ट लिमि., 11 स्वेद बिन्दु, शक्ति नगर, भुसावल, 425201 (महाराष्ट्र).	यूएस/3326	12-1-2011
81	श्री जितेन्द्र गिरी, 61-बी, बद्रीधाम नगर (जवाहर नगर के पास) देवास (म.प्र.).	20/3330	1-2-2011
82	श्री जीशान इकबाल खान, 42, जेलर कम्पाउण्ड, पुल बोगदा, भोपाल (म.प्र.).	28/3332	6-1-2011
83	श्री दीपक शर्मा, आवास कालोनी, जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31/3333	24-1-2011
84	श्रीमती आशा लखेरा, खड़िया बाजार, शक्ति नगर, सोनभद्र (उ.प्र.).	यूएस/3334	4-2-2011
85	मेसर्स आर. एम. एस. आटोमेशन सिस्टम लिमि., सी-138, नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली.	यूएस/3335	21-2-2011
86	श्री विपिन जायसवाल, म. नं. 238, सेक्टर-बी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/3344	28-2-2011
87	श्री भूपेन्द्र शर्मा, कायस्थ मोहल्ला, बड़ोद, जिला-शाजापुर (म.प्र.).	30/3346	23-12-2010
88	श्री सीमांत सिंह बुन्देला, 23, आदर्श विक्रम नगर, सेठी नगर, उज्जैन (म.प्र.).	18/3347	4-1-2011
89	श्री उमेश नारायण त्रिपाठी, पांडव नगर, शहडोल (म.प्र.).	14/3351	4-3-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
90	श्री आर. एन. शर्मा, निवासी-ई.एम. 129, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/3354	4-12-2010
91	श्री नागेन्द्र पाल, सूर्य बिहार कालोनी, पिन्टो पार्क, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3356	25-2-2011
92	श्री मो. असलम अंसारी, म. नं. 113, सिद्धार्थ नगर, नियर निजामुद्दीन कालोनी, इन्द्रपुरी, भोपाल (म.प्र.).	28/3359	14-2-2011
93	मेसर्स रजनी इंटरप्राइजेज, 103/10-बी, पत्रकार कालोनी, रानीताल चौक, जबलपुर (म.प्र.).	33/3362	7-3-2011
94	श्री अनूप कुमार चौरसिया, मढ़िया नाका स्कूल के पास, इतवारी, सागर (म.प्र.).	09/3365	25-1-2011
95	श्री मनोज सक्सेना गणेश कालोनी, बरेली, रायसेन (म.प्र.).	26/3390	8-2-2011
96	मेसर्स वेदान्त लाईट इण्डस्ट्रीज, प्रो. नीलिमा साहू, 296/2, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/3403	15-3-2011
97	श्री देवेन्द्र शर्मा जवाहर गंज, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).	03/3412	18-3-2011
98	श्री कुलदीप तिवारी, ग्राम खमहरिया तिवरियान, पोस्ट-भान्द, जिला सतना (म.प्र.).	12/3413	31-12-2010
99	मेसर्स विजय इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन, प्रो. रीना कुशवाह, 551-ए, सुरेश नगर, थाटीपुर-ग्वालियर (म.प्र.).	03/3414	25-10-2010
100	श्री सोमित नाथ खरे, "शिवार्पण" 13/02, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी, भोपाल (म.प्र.).	28/3438	10-12-2010
101	श्री परवेज खान, म. नं. 77, बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.).	28/3467	13-1-2011

(1)	(2)	(3)	(4)
102	श्री रमेश कुमार त्यागी, सी-1/21, एम.आई.जी., बसंत बिहार, उज्जैन (म.प्र.)	18/3550	15-12-2010
103	मेहन एस. निमदेवकर एण्ड कम्पनी, 34, रुकमणी नगर, अमरावती (महाराष्ट्र)	यूएस/3559	11-11-2010
104	श्री मातादीन रावत, ग्राम-सिंगाचौली, पोस्ट-लहरा, तह. कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.)	01/3566	1-1-2011
105	श्री कैलाश सिंह पवार, निवासी जी-5, कवर कालोनी, तह. बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.)	24/3599	5-1-2011
106	श्री जाहिद खान, मेसर्स शर्मा इन्टरप्राइजेज, 30-नगर निगम कालोनी, वर्कशाप, शाहजहानाबाद-भोपाल (म.प्र.)	28/1541	20-12-2010
107	श्री कुशल गुप्ता, आ. श्री एस. एस. गुप्ता, एम. एल. ए. रोड, गंगापुरा, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.)	03/1971	31-12-2010
108	श्री कैलाशचन्द सोनी, कालापीपल मण्डी, कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.)	30/2289	15-9-2010
109	श्री मनीष महाजन, 72, बनिया वार्ड, धार (म.प्र.)	22/2379	01-12-2009 (सूचना प्राप्त दि. 2-12-10)
110	श्री गोविन्द गुप्ता, प्रो. शिवम् इन्टरप्राइजेज, घासमण्डी, मुरार-ग्वालियर (म.प्र.)	03/2828	31-3-2010
111	श्री अपूर्व डे, पुराने नरसिंहपुर नाके के पास, कालेज रोड, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	36/2848	19-9-2010
112	श्री बनवारीलाल धाकड़, आ. श्री करणसिंह धाकड़, ग्राम-आकखेड़ा, पोस्ट-रेहलीकलां, तह. आरोन, जिला गुना (म.प्र.)	06/2951	21-2-2011
113	मेसर्स इलेक्ट्रिकल मेनीफेक्चरिंग कम्पनी लिमि., 139-बी, बी. टी. रोड, पोस्ट कमरहाटी, कलकत्ता 700058.	यूएस/3047	2-2-2010

ए. के. दुबे, सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. 2256-भू-अर्जन-2011-प्रकरण क्रमांक-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	पाटी	पाटी	5.226	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	अम्बाफल्या तालाब की बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 25 अक्टूबर 2011

क्र. 25-अ-82-10-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न इससे अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	पलायछा	1.756	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत दो आब नहर की खेड़ा मायनर के निर्माण हेतु ग्राम पलायछा की भूमि का अर्जन.
		योग . .	1.756		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कुक्षी, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. 1149-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	निसरपुर	446.17	कार्यपालन यंत्री, न. धा. वि. प्रा. मान जोबट परि. संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परि. अंतर्राज्यीय परि. की डूब से प्रभावित होने पर.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि., न. धा. वि. प्रा. मान, जोबट संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2011

क्र. 5-अ-82-2007-08-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			ख. क्र.	(हेक्टर में)		
भोपाल	हुजूर	दामखेड़ा	84/1	0.057	प्रोजेक्ट मेनेजर, पी. आई. यू. यू. डबलू. एस. ई. आई. (एडीबी) प्रोजेक्ट म्यूनिस्पल कार्पोरेशन, भोपाल.	मलजल प्रवाह उदय परियोजना हेतु भूमि का अधिग्रहण.
			87, 249/87	0.036		
			88	0.109		
			12	0.008		
			11	0.073		
			योग . .	0.283		

भूमि का नक्शा नजूल गोविन्दपुरा वृत्त के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

पत्र क्र. 1833-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	भगवानपुर	1.732	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1835-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	रक्सहा	1.422	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1837-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	पुरवा	3.429	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1839-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	खटिया	1.760	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1841-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	पड़वार	3.211	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1843-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	ऊसरगांव	2.967	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1845-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	पंछा	2.258	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1847-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	सोहागी	5.260	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1849-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	सहिजवार	0.940	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1851-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	टिकुरी	1.098	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1853-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	गोपालपुरवा	1.320	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1855-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	नष्टगवां	1.130	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1857-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि की उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	अंजोरा कोठार	2.663	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1859-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	मलपार कोठार	1.330	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1861-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	अंतरसुइया कोठार	1.362	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

पत्र क्र. 1863-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	राजापुर	2.923	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्यौंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्यौंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

क्र. 1865-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	कल्ला कला	0.048	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1867-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नौगवां	2.090	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1869-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	आमातारा	7.094	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1871-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	गिधैली	0.080	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1873-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बड़ारी	0.380	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1875-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	कुशमहा	1.640	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1877-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	कुदरीकला	0.300	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 5 नवम्बर 2011

क्र.-भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-305.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. गाड़ासरई	झिंझरी माल. प.ह.नं. 174	1.405	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पंडरूखी डायवर्सन योजना के नहर कार्य हेतु.
		योग . .	1.405		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	1.405		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-306.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. बजाग	बछरगांव प.ह.नं. 174	1.015	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पंडरूखी डायवर्सन योजना के नहर कार्य हेतु.
		योग . .	1.015		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	1.015		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-307.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. बजाग	पिंडरूखी मा. प.ह.नं. 175	4.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पंडरूखी डायवर्सन योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.
		योग . .	4.67		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	4.67		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-308.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. बजाग	लालपुर मा. प.ह.नं. 192	2.62	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	पंडरूखी डायवर्सन योजना के शीर्ष कार्य हेतु.
		योग . .	2.62		
		शासकीय भूमि	2.00		
		कुल योग . .	4.62		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-309.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. अमरपुर	रामगढ़ प.ह.नं. 92	2.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भाखा डायवर्सन स्कीम दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	2.50		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	2.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-310.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. अमरपुर	बिजौरी माल प.ह.नं. 92	3.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भाखा डायवर्सन स्कीम दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	3.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	3.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-311.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. अमरपुर.	बरसिंघामाल प.ह.नं. 93,	6.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भाखा डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य, दाँयी एवं बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	6.25		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	6.25		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-312.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. अमरपुर.	बिजौरी रै. प.ह.नं. 92	0.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	भाखा डायवर्सन स्कीम दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	0.30		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	0.30		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-313.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. समनापुर.	कोकोमटा प.ह.नं. 124,	16.30	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य.
		योग . .	16.30		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	16.30		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-314.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. समनापुर.	मुकुटपुर प.ह.नं. 122,	0.65	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	0.65		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	0.65		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-315.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. समनापुर	प्रेमपुर प.ह.नं. 123,	8.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य.
		योग . .	8.75		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	8.75		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-316.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. समनापुर.	मानपुर रै. प.ह.नं. 122,	2.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम दॉयी तट नहर कार्य.
		योग . .	2.50		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	2.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-317.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. अमरपुर	देवरी माल प.ह.नं. 94	1.80	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	1.80		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	1.80		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-318.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. समनापुर	खुड़िया माल प.ह.नं. 123	8.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	खुड़िया डायवर्सन स्कीम शीर्ष कार्य एवं बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	8.25		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	8.25		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-319.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर रै.	सारंगपुर प.ह.नं. 15 योग . . शासकीय भूमि कुल योग . .	7.50 7.50 0.50 8.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारंगपुर पड़रिया जलाशय बांयी एवं दांयी तट नहर कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-320.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर रै.	पड़रिया रै. प.ह.नं. 15 योग . . शासकीय भूमि कुल योग . .	50.00 50.00 6.00 56.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	सारंगपुर पड़रिया जलाशय शीर्ष कार्य, बांयी एवं दांयी तट नहर कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-321.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. नेवसा	गुयरा रै. प.ह.नं. 53	36.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गुयरा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी एवं बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	36.00		
		शासकीय भूमि	4.00		
		कुल योग . .	40.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-322.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर	जमगांव मा. प.ह.नं. 03	83.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन (जमगांव) शीर्ष कार्य.
		योग . .	83.40		
		शासकीय भूमि	11.00		
		कुल योग . .	94.40		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-323.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर	सहजपुरी रै. प.ह.नं. 10	1.90	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	टिकरिया (सिलहरी) दांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	1.90		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	1.90		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-324.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर	सिलहरी प.ह.नं. 11	56.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	टिकरिया (सिलहरी) जलाशय शीर्ष कार्य दांयी एवं बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	56.13		
		शासकीय भूमि	6.00		
		कुल योग . .	62.13		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-325.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर	मोरचा रै. प.ह.नं. 11	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	टिकरिया (सिलहरी) बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	0.50		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	0.50		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-326.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. नेवसा	नेवसा प.ह.नं. 50	3.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	गुयरा जलाशय बांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	3.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	3.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-327.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. शाहपुर	धमनगांव प.ह.नं. 41	5.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय शीर्ष कार्य.
		योग . .	5.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	5.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-328.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. शाहपुर	बालपुर प.ह.नं. 38	10.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय दांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	10.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	10.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-329.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. शाहपुर	बरछा प.ह.नं. 36 योग . . शासकीय भूमि कुल योग . .	27.00 27.00 3.00 30.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	रकरिया जलाशय शीर्ष कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-330.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. शाहपुर	सरई रै. प.ह.नं. 2 योग . . शासकीय भूमि कुल योग . .	0.50 0.50 0.00 0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन (जमगांव)जलाशय शीर्ष कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-331.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर	नागदमन रै. प.ह.नं. 2	0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन (जमगांव) जलाशय शीर्ष कार्य.
		योग . .	0.25		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	0.25		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-332.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर रै.	मुड़की मा. प.ह.नं. 01	3.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन (जमगांव)जलाशय दांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	3.00		
		शासकीय भूमि	0.00		
		कुल योग . .	3.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-(अ-82)2011-12-333.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी रा. नि. मं. विक्रमपुर	केलवारा प.ह.नं. 01	11.00	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	नागदमन (जमगांव)जलाशय दांयी तट नहर कार्य.
		योग . .	11.00		
		शासकीय भूमि	1.00		
		कुल योग . .	12.00		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं पदेन कलेक्टर, डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. वी. रश्मि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. 4988-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 8-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—रतलाम

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम बिरमावल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—02.020 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1934	0.075
1935	0.060
1936/2	0.075
1936/4	0.075
1936/8	0.075
1938/1	0.075
1938/2	0.075
1939/2	0.075
1940/1	0.015
1940/2	0.060
1941/1	0.060
1950/6	0.075
1959/7	0.075
1965	0.075
1969	0.030
2001	0.075
2015/30	0.030
2015/31	0.110
2015/32	0.110
2015/36	0.030
2015/44	0.030
2015/45	0.075
2015/53	0.075
2015/65	0.110
2291	0.400
योग . .	2.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—कुण्डाल तालाब योजनान्तर्गत तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण कार्य से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

रतलाम, दिनांक 5 नवम्बर 2011

क्र. 5290-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 9-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—रावटी

(ग) ग्राम—डाबरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.78 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
16	0.73
17	0.38
19	1.56
22/1	0.10
23/1	0.14
22/2	0.12
23/2	0.07
22/3	0.12
23/3	0.14
24/4	0.14
23/4	0.09

(1)	(2)
23/5	0.14
24	0.58
25	1.21
65	0.23
64	3.00
70	0.03
15	2.00
योग . .	10.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—डाबरी तालाब निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5292-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 10-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—बाजना
(ग) ग्राम—खोरा एवं ठिकरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.16 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—खोरा (तालाब क्षेत्र)	
82	0.08
85	0.27
86	0.26
196	0.06
83	0.40
195	0.30
157	0.35
167	0.14
87	0.40
226	0.43
88	0.64
90	0.80
91	0.13
212	0.22
237	0.90
235	0.12
236	0.13
238	0.20
240	0.03
251	1.29
214/1	0.60
191	0.05
200	0.08
216	0.50
217	0.36
215	0.32
221	0.30
218	0.47
222	0.30
223	0.30
224	0.31
80	0.11
188	0.11
244	0.23
245	0.40
252	0.28
253	0.28
254	0.28
255	0.36
261	0.85
264	0.12
61	0.18
193	0.93
186	0.07
187	0.04
39	0.33
41	0.13
43	0.02
50/1	0.09
50/2	0.09
63	0.02
64	0.11
56	0.40
65	0.14
77	0.07
78	0.03
योग . .	16.41

(1)	(2)
ग्राम—ठिकरिया	
189	0.12
191	0.05
188	0.06
192	0.04
193	0.08
249	0.04
योग . .	0.75
महायोग दोनों ग्रामों का कुल . .	17.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—भण्डारिया तालाब एवं नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5294-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 11-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—घोडादेह, सोमारूण्डी खुर्द एवं खेड़ा उर्फ इन्द्रावल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.40 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—घोडादेह (तालाब क्षेत्र)	
87	0.25
124	0.80
85	0.40
21	0.05
82	0.80
90	0.30
99	1.10
84	0.15
118	0.40
142	0.05
141	0.60
81/2	0.15
योग . .	5.05
ग्राम—सोमारूण्डी खुर्द	
20	0.16
2	1.10
4	0.70
6	0.50
7	0.51
9	0.60
126	0.84
144	0.15
145	0.11
योग . .	4.67
ग्राम—खेड़ा उर्फ इन्द्रावल	
4/2	0.30
6	0.67
7	0.82
8	1.21
9	0.30
10	0.48
12	1.90
योग . .	5.68
महायोग तीनों ग्रामों का कुल .	.15.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—चावलाखेड़ी तालाब निर्माण में आने वाली डूब भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5296-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 12-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन

के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—रावटी
(ग) ग्राम—डाबरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.10 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
74	0.020
76	0.065
77	0.020
78	0.075
80	0.130
79	0.320
28/2	0.030
106	0.060
107	0.090
108	0.040
109	0.040
110	0.020
111	0.050
112	0.125
126	0.040
130	0.065
131	0.090
132	0.050
121	0.015
120	0.020
119	0.100
138	0.100
139	0.030
140	0.100
141	0.035
202	0.100
203	0.060
175	0.060
172	0.090
177	0.060
योग . .	2.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—डाबरी तालाब नहर निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

नस्ती क्र. 85-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 65-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—गुयड़ा
(घ) अर्जित रकबा—3.92 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5	0.12
17	0.06
18/1	0.07
19/1	0.07
25	0.12
27	0.04
28	0.12
29	0.05
47	0.10
48	0.11
49/2	0.13
50/2	0.02
51	0.19
56	0.12
57/1	0.07

(1)	(2)
57/2	0.07
187/2	0.07
188	0.17
196/1	0.05
278/1	0.08
278/2	0.03
279/1	0.07
279/3	0.04
281	0.07
282	0.03
366	0.11
368	0.07
369	0.01
556	0.16
558	0.09
559	0.10
562	0.01
563	0.38
564	0.15
566	0.06
567	0.06
568	0.06
569/2	0.06
570	0.08
580/1	0.04
583/1	0.06
601/1	0.20
602	0.15
योग . .	3.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदा नगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 112-एल.ए.-2011-भू-अर्जन-प्र. क्र. 66-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—मोहद
(घ) अर्जित रकबा—6.91 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
19	0.13
22/2	0.04
23	0.07
24	0.07
55/1	0.15
55/2	0.04
55/3	0.06
58	0.05
75	0.06
76/1	0.06
76/2	0.06
77/2	0.07
86	0.20
88	0.06
89	0.01
94	0.02
95	0.04
96	0.14
99	0.04
101/1	0.07
101/2	0.04
271	0.12
272	0.07
273/1	0.01
274	0.12
275	0.08
282	0.06
283	0.17
285	0.07
286	0.04
287	0.03
288	0.01

(1)	(2)
297	0.04
298	0.03
299	0.01
332/1	0.05
332/2	0.02
334	0.08
335	0.04
337/2	0.06
350	0.04
356	0.01
357	0.04
358	0.03
359	0.04
360	0.04
363	0.01
364	0.05
365	0.01
369	0.03
455/3	0.20
458	0.05
467	0.03
468	0.03
469/2	0.12
470	0.04
471	0.12
487	0.08
488	0.05
491/1	0.09
492	0.13
493	0.01
525	0.01
526	0.04
535	0.03
536	0.09
537	0.05
538	0.03
540/1	0.09
540/2	0.09
541	0.09
543	0.10
544	0.03
545	0.09
546	0.05
579	0.06
580/1	0.12
580/2	0.07
581	0.03
586	0.08
587	0.22
588	0.28
594	0.13
595	0.04
619/1	0.28
619/2	0.04
620	0.11
621	0.03
626	0.17
629	0.01
631	0.15
656	0.05
671	0.03
679	0.03
680	0.11
681	0.03
682	0.21
योग . .	6.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्‌वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन-प्र. क्र. 16-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—कोड़ियाखेड़ा

(घ) अर्जित रकबा—4.49 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
7	0.21
8	0.08
17	0.28
31	0.09
32	0.21
37	0.13
38	0.10
39	0.04
42	0.16
43	0.12
44/1	0.18
44/2	0.16
46	0.20
47/1	0.12
89	0.33
95/1	0.02
97/1	0.02
97/2	0.06
98/1	0.23
109/2	0.03
111/1	0.06
127/1	0.30
127/2	0.15
152	0.14
153	0.05
166	0.42
167	0.03
375	0.03
376/1	0.04
376/3	0.04
104	0.36
110/1	0.05
110/2	0.05
योग . .	4.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत वितरण पाईप लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 25, नर्मदानगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. 2257-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. 34-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—निवाली

(ग) ग्राम—मेरखेड़ी, प.ह. नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.040 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.030
8/1, 8/2, 8/3, 9, 18/2	0.360
6/3	0.270
7/1, 7/2, 18/3 19, 20, 21, 23	0.380
योग . .	1.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बड़गॉव तालाब योजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2255-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. 36-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—निवाली
(ग) ग्राम—वासवी, प.ह. नं. 07,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.084 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36/2/1	0.045
36/3, 36/4	0.060
36/2/2	0.165
37/1	0.225
37/6	0.210
38/1 'क'	0.060
38/1 'ख'	0.060
39/4	0.083
46/1	0.090
46/2	0.075
47/2	0.225
47/3	0.135
50/8	0.113
50/11	0.090
52/2	0.398
55/3	0.480
58/7	0.180
58/11	0.150
58/8	0.240
योग . .	3.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बड़गॉव तालाब योजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्र. 873-भू-अर्जन-2011-**उद्घोषणा (संशोधित).**—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—उपरवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.288 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
177/2	0.036
178	0.076
191	0.048
192/4	0.044
203	0.028
204	0.028
205/3	0.028
योग . .	0.288

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम पंचायत, उपरवार को रीवा डभौरा मार्ग से जोड़ने बावत्.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, त्यौंथर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रुपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 1 नवम्बर 2011

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 11351-भू-अर्जन-2011-**संशोधन.**—लेबड़-मानपुर फोरलेन निर्माण अन्तर्गत ग्राम एकलदूना (दिग्ठान), तहसील व जिला धार की क्षेत्रफल 10.567 हेक्टर निजी भूमि के अधिग्रहण के लिये भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा क्रमांक 2535-भू-अर्जन-2010, दिनांक 2 मार्च 2010 जारी की गई थी. उक्त उद्घोषणा का प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र'', भाग-1 में 12 मार्च 2010 को पृष्ठ क्रमांक 372-73 पर हुआ है. इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र नई दुनिया में दिनांक 4 अप्रैल 2010 एवं स्वदेश में दिनांक 5 अप्रैल 2010 को हुआ है.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशित हुआ		संशोधन उपरांत पढ़ा जावे	
सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर) (2)	सर्वे नम्बर निजी (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर) (2)
4/1	0.438	4/1	0.156
73/1/1	0.005	4/2	0.282
180/1	0.320	73/3/1	0.005
180/2	0.240	180/1	0.424
		180/2	0.136

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. 9059-प्र.भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—रहली
(ग) ग्राम—मढ़िया बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.977 हेक्टर.

खसरा नं. में से (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
159	0.033
160	0.125
162/1	0.091
162/2	0.066
154/1	0.091
37	0.091
32	0.066
33	0.075
31/1	0.025
30/2	0.050
30/1	0.050
30/3	0.020
29/1	0.064
29/2	0.100
36	0.020
153/1	0.010
योग . .	0.977

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—मैनाई जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रेहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-9060-प्र.भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—रहली

(ग) ग्राम—महेशा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.54 हेक्टर.

खसरा नं. में से (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
26	0.03
27	0.09
29	0.12
84/2	0.16
85	0.14
योग . .	0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—मैनाई जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रेहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-9061-प्र.भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—रहली

(ग) ग्राम—पडरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.07 हेक्टर.

खसरा नं. में से (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
17/1	0.100
17/2	0.042
17/3	0.020
17/4	0.025
18/1	0.058
18/2	0.058
19/1	0.065
19/2	0.020
30	0.100
29	0.125
34	0.033
35	0.058
36	0.066
39	0.200
41	0.100
योग . .	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—मैनाई जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रेहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 3 नवम्बर 2011

प्र. क्र. 06-अ-82-11-12-733.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) ग्राम—जनोलीबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.03 हेक्टर.

भूमि खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में) (2)
420	0.05
426	0.06
491	0.15
492	0.06
493	0.17
516	1.02
518	0.20
519	0.11
520	0.13
521	0.08
योग . .	2.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भैंसाखेड़ी तालाब निर्माण हेतु डूब प्रभावित होने से.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-11-12-739.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) ग्राम—बुदासा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.84 हेक्टर.

भूमि खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हे. में) (2)
143	0.03
147	0.05
148	0.06
149	0.15
175	0.16
195	0.28
196	0.21
377/3	0.02
384	0.10
385	0.10
388/1	0.04
388/2	0.04
389	0.08
393	0.12
394	0.06
396	0.06
655	0.08
677	0.10
667	0.10
678	0.08
682	0.02
683/2	0.07
679	0.07
686	0.20
690/1	0.11
690/2	0.06
691	0.10
696/3	0.10
702	0.15
711	0.10
716	0.03
719	0.21
720	0.13
755/3	0.06
755/4	0.04
757	0.04
764	0.02
759	0.10
768	0.12
760	0.08
765	0.11
योग . .	3.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बुदासा तालाब की नहर निर्माण हेतु प्रभावित होने से.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र.-8237-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—सौंसर
(ग) नगर/ग्राम—पंचालखापा, प.ह.नं. 12/26, ब.नं. 223, रा.नि. मंडल सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—78.823 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं. (1)	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
4/2	0.800
14/1	0.485
14/9	0.405
138/1	0.165
140/3	0.104
14/2	0.304
14/3	0.404
140/2	0.105
14/4	0.566
14/5	0.344
14/7	0.405
14/8	0.405
140/1	0.105
15/1	1.069
134/4	0.190
15/2	0.607
16/1	0.749
16/2	0.380
16/3	1.190
16/4	0.749
16/5	0.809
17/1	1.019
19/1	0.482
17/2	0.510
71/2	0.809
17/3	0.510
19/2	0.481
71/3	0.809
18/1	1.234
37/1	0.361
18/2	0.617
139/1	0.719
18/3	0.617
139/4	0.719
20	0.081
120	0.186
136/1	0.420
21	0.081
119	0.186
37/2	0.360
85/1	0.470
88/1	0.481
113/1	0.117
39	0.664
41/1	0.684
41/2	0.805
69/1	0.404
69/2	0.607
69/3	3.174
77	0.384
69/4	0.405
70	1.967
71/1	0.202
76	0.235
82/1	0.515
78	0.061
80/1	0.014
80/2	0.014
82/2	1.859

(1)	(2)	(1)	(2)
82/3	1.859	92/3	0.619
83/1	1.011	92/4	0.619
83/2	0.202	92/5	0.648
83/3	0.405	93/1	0.979
83/4	0.405	93/2	0.404
84	2.403	93/3	0.283
114	1.019	93/4	0.624
85/2	0.310	93/5	0.218
88/2	0.321	93/6	0.624
121/3, 122/3, 123/3	0.687	93/7	0.214
85/3	0.235	93/8	0.405
88/3	0.241	94	0.194
113/3	0.059	98	0.308
116/1	0.061	103	0.652
117/1	0.182	104	0.061
121/5, 122/5, 123/5	0.847	108	0.312
85/4	0.310	95	0.210
88/4	0.321	99/1	0.101
121/2, 122/2, 123/2	0.687	102/1	0.348
85/5	0.310	107/1	0.225
88/5	0.322	99/3	0.102
121/4, 122/4, 123/4	0.687	102/2	0.348
86/1	0.243	107/2	0.225
110/1	0.097	85/6	0.235
112/1	0.312	88/6	0.241
86/2	0.312	113/4	0.059
110/2	0.012	116/2	0.060
112/2	0.125	117/2	0.182
86/3	0.371	121/1, 122/1, 123/1	0.847
112/3	0.162	132/1	0.142
87/1	0.497	139/3	0.950
87/2	0.267	132/2	0.271
87/4	0.304	139/2	2.262
87/3	0.186	101/1	0.810
96/2	0.263	113/2	0.239
99/2	0.251	127/1	2.072
100/2	0.207	127/2	1.000
101/4	0.214	128/1	0.123
101/5	0.059	128/2	0.117
105/2	0.075	135	0.240
109/2	0.350	143	0.240
87/5	0.187	154/1	0.180
96/1	0.263	155/3	0.200
100/1	0.457	155/5	0.200
101/2	0.215	155/2	0.120
101/3	0.058	161	0.160
105/1	0.075	165	0.050
109/1	0.350	167/1	0.135
89	3.658	167/4	0.250
92/1	0.619	167/2, 167/3	0.130
92/2	0.999	147/5, 148/1	0.090

(1)	(2)
147/2, 148/2	0.100
146/1, 147/3, 148/3	0.060
150	0.105
151/1	0.150
71/4	0.405
योग :	78.823

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अम्बाखापा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध/नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप- संभाग-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 नवम्बर 2011

क्र. 1879-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—ब्यौहारी
(ग) ग्राम—उदारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.483 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187	0.040
226	0.126
230	0.176
241	0.091
279	0.050
योग . .	0.483

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बांध के अन्तर्गत डूब में आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि के संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 सितम्बर 2011

संशोधित उद्घोषणा

क्र. 1382-भू-अर्जन-11.—तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भट्याण बुजूर्ग की अर्जनीय कृषि भूमि के अर्जन हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का दैनिक समाचार-पत्र नईदुनिया इन्दौर में दिनांक 2-9-2011 (जी. क्र. 18395/11) से पृष्ठ क्रमांक 09 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसको निम्नानुसार सही संशोधित प्रकाशन एवं पृविष्ठी पढ़ी जावे.

त्रुटिपूर्ण प्रकाशन एवं प्रविष्ठि	संशोधित प्रकाशन एवं पृविष्ठी
(1)	(2)
अनुसूची-1 भूमि का वर्णन में तहसील-महेश्वर	अनुसूची-1 भूमि का वर्णन में तहसील-कसरावद

शेष प्रविष्ठियां यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. 1392-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 21 नवम्बर 2011 से 25 नवम्बर 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 नवम्बर 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 21 नवम्बर 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. (1) न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.

(2) प्रशिक्षण में शामिल पृष्ठांकन में दर्शित ऐसे न्यायिक अधिकारी जो यह महसूस करते हैं कि वे कम्प्यूटर ज्ञान से भिज्ञ हैं एवं उन्हें लेपटाप प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में समय रहते सीधे प्रशिक्षण संस्थान को सूचित करें, ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके.

(3) ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके लेपटॉप कार्यरत अवस्था में नहीं है अथवा गुम हो गये हैं, जो उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपना प्रतिवेदन संस्थान को समय रहते प्रेषित करें, ताकि अन्य व्यवस्थाएं की जा सकें.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

क्र. 1403-गोपनीय-2011-दो-3-1-2011 (भाग-बी).—प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 2, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में "Induction Training Programme" (Second Phase) (2011 Batch), जो दिनांक 28 नवम्बर 2011 से 23 दिसम्बर 2011 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 28 नवम्बर 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तद्नुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 28 नवम्बर 2011 को प्रातः काल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होवें.

3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंवे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होवें.

4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे Second Phase Field Training के दौरान, उन्हें सौंपे गये कार्य के संबंध में उनके द्वारा तैयार किये गये प्रपत्र (Record) अवश्य साथ लावें.

5. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.

6. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.

7. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

8. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. C-9157-दो-2-62-2009.—श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. 890-दो-16-43-2008.—श्रीमती अंजुली पॉलो, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) जबलपुर को दिनांक 10 अक्टूबर 2011 से 19 अक्टूबर 2011 तक, दस दिवस के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-5) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब(एक)-2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश.

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. C-8889-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 12 से 15 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8891-दो-2-3-2008.—श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ ब्यावरा को दिनांक 2 से 3 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8893-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 14 से 23 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-8895-दो-2-16-2002.—श्री शिवनारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 23 से 27 अगस्त 2011 तक पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. C-8898-दो-2-9-2011.—श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 17 से 24 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-8900-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 29 अगस्त से 2 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8902-दो-2-48-2011.—श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा, को दिनांक 17 से 24 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8904-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 15 से 17 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. E-4518-दो-2-3-2008.—श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 7 से 15 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 6 अक्टूबर 2011 तक एवं पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2011

क्र. C-9150-दो-2-64-2010.—श्री महेश प्रसाद अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3/(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9154-दो-2-73-2006.—श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3/(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9159-दो-2-43-2006.—श्री एम. के. मुदगल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3/(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-9161-दो-2-61-2006.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3/(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. 1396-गोपनीय-2011-दो-2-1-2011 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार का निलंबन उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश आदेश क्रमांक 406/C.J-II/478, दिनांक 21 अक्टूबर 2011 द्वारा खंडित (Revoke) होने के फलस्वरूप उन्हें द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से रिक्त न्यायालय में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 21st October 2011

No. 406-CJ-II-478.—In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke the Suspension Order No. 255, dated 17th February 2011 of Shri R. P. Gupt, the then Additional District Judge, Indore, (presently under suspension with headquarters at Dhar) with immediate effect. He will be entitled for the remaining salary and the period of suspension will be treated as period spent on duty. Further resolved, that the report of the Enquiry Officer be accepted. The Officer be exonerated.

By order of the High Court
J. R. BACHCHAN, Registrar Inspection & Vigilance .

जबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. सी-8944-तीन-10-42-75 (भिण्ड-लहार).— मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जहां तक की उसका संबंध श्रृंखला न्यायालय, भिण्ड-लहार से है एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक बी/1905, दिनांक 23 जुलाई 2011 में संशोधन करता है तथा यह आदेश देता है कि श्री सतीश चंद्र राय, षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) भिण्ड श्री लक्ष्मण पवैया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड के स्थान पर श्रृंखला न्यायालय, भिण्ड-लहार का कार्य संपादित करेंगे. यह संशोधन 15 नवम्बर 2011 से प्रभावशील होगा.

No.C-8944-III-10-42-75 (Bhind-Lahar).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh so far as it relates to the holding of Link Court from Bhind to Lahar amends its notification No. B/1905 dated 23rd July 2011 and orders that Shri Satish Chandra Rai, Additional Judge to VIth Additional District and Sessions Judge (Fast Track Court) Bhind will hold and conduct the work of Link Court from Bhind to Lahar in place of Shri Laxman Pawaiya, VIth Additional District and Sessions Judge, Bhind. The amendments shall come into force with effect from 15th November 2011.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.